

an>

Need to conduct a probe into the misappropriation of National Disaster Fund meant for disbursement to farmers who lost their crops due to hailstorms in Jalaun Parliamentary Constituency, Uttar Pradesh.

श्री आनु पृथाप सिंह वर्मा (जालौन) ○: मेरे संसदीय क्षेत्र जालौन अरौला शोगनीपुर के जनपद जालौन के अंतर्गत 2014-15 में जो ओलावृष्टि हुई थी, उसमें किसानों को 2015 में जो राशि प्रितरित की गई, जिसमें किसानों को 9000 रुपये से लेकर 18000 रुपए तक राष्ट्रीय आपदा राहत कोष द्वारा दिये गये थे। प्रदेश सरकार द्वारा नियमों के विरुद्ध जो लघु व लघु शीमांत एवं वृद्धि किसानों को जो धन मुहैया करता जाना चाहिए था, वह नहीं किया गया था। कुछ किसानों को अधीत तक पहली किश्त भी मुहैया नहीं कराई गई है, कुछ गांवों में नियमों से छटकर धनराशि प्रितरित की गई। कोंय तहसील के अंतर्गत तो यहां तक कठित धांघती हुई कि जो किसान नहीं थे, उन्हें फर्जी किसान बनाकर राजस्व अधिकारियों की मिलीअगत से उनके खाते में पैसीस कजार रुपए की तीन किलों उनको भेज दी गई थी। कुल भिलाकर 35 से 40 लाख रुपए तक घोटाला किया गया, इस घटना में कई लोग अंधीर एवं संवेदनशील विषय में जांच में दोषी पाये गये। जिसमें कुछ अधिकारी जेल गये।

अतः मेरी केंद्र सरकार से मांग है कि राष्ट्रीय आपदा राहत कोष के हुए दुरुपयोग की उच्च स्तरीय केंद्रीय जांच समिति से जांच कराने का काट करें, जिससे किसानों को न्याय मिल सके।